कृषि/समन्वय सेल 10/07/2013

S01 PL0SSU Ken 10/07/13

11-7-13

स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उत्तर प्रदेश की दिनांक 01.07.2013(सोमवार) को आयोजित 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष एसएलएनए/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्मानित सदस्यगण विभागीय अधिकारीगण की उपस्थिति में एसएलएनए की 15वीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है। प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक में बिन्दुवार चर्चा एवं प्रजेन्टेशन के माध्यम से अद्यावधिक प्रगति, कार्यवाही, परियोजनाओं का विवरण आदि से अवगत कराया गया।

बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

1. एसएलएनए की दिनाँक 27.12.2012 को आयोजित 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी।

2. एसएलएनए की दिनॉक 27.12.2012 को आयोजित 14वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर अनुपालन की स्थिति से सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :–

(i) ***वित्तीय वर्ष 2011–12*** में रामगंगा समादेश की स्वीकृत ***35*** परियोजनाओं में ***₹ 1167.82 लाख*** उपलब्ध था, जिसके विरूद्ध ***₹ 131.02 लाख*** व्यय किया गया है, जो कुल उपलब्ध धनराशि का ***11.2 प्रतिशत*** है। कृषि विभाग को बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ***वित्तीय वर्ष 2011–12*** में स्वीकृत ***53*** परियोजनायें आवंटित की गयी थीं। इन परियोजनाओं के लिये 6 प्रतिशत धनराशि ***₹ 1942.87 लाख*** अवमुक्त किया गया। परियोजना क्षेत्र में आयी भिन्नता के कारण 16 परियोजनाओं को फोरक्लोज किया जा चुका है, शेष 37 परियोजनाओं में उपलब्ध ₹ 1339.40 लाख के विरूद्ध ***₹ 1008.10 लाख*** व्यय किया जा चुका है, जो उपलब्ध धनराशि का 75.26 प्रतिशत है। इस प्रकार ***वित्तीय वर्ष 2011–12*** में स्वीकृत बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कृषि विभाग की योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित हुआ है। ***लाइवलीहुड एक्टीविटीज, प्रोडक्शन सिस्टम*** एवं ***माइक्रो इन्टरप्राइजेज*** मद में क्रमशः ***26 प्रतिशत*** एवं ***20 प्रतिशत*** की प्रगति माह मई 2013 तक प्राप्त हुई हैं। इन मदों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में गति प्रदान करने हेतु ***संसाधन संर्वधन संगठन (RSO)*** के रूप में एनजीओ/एजेंसीज की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु EOI/TOR का प्रकाशन कराया गया था, जिसके सापेक्ष नियत अन्तिम तिथि 20.06.2013 कुल 224 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। ***एजेण्डा बिंदु सं0–21 पर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत है।***

(ii) ***वित्तीय वर्ष 2010–11*** में स्वीकृत ***183*** परियोजनाओं में से ***29*** परियोजनाओं का ***प्रारम्भिक चरण का मूल्यांकन*** पूर्व में ही कराया जा चुका है। शेष ***154*** में से ***138*** परियोजनाओं का ***प्रारम्भिक चरण का मूल्यांकन*** पूर्ण हो चुका है शेष ***16*** परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य अन्तिम चरण पर है।

(iii) ***वित्तीय वर्ष 2012–13*** हेतु चयनित ***3.18 लाख हेक्टेयर*** की 64 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मार्च 2013 में उपलब्ध कराये गये ***केन्द्रांश*** में ***राज्यांश*** के ***मैचिंग शेयर*** को सम्मिलित करते हुए, परियोजना लागत की ***3.5 प्रतिशत धनराशि (₹ 13.35 करोड़)*** को परियोजनाओं से सम्बन्धित जनपदों के डब्ल्यूसीडीसी के परियोजना खाते में अन्तरित की जा चुकी है। मदवार विवरण निम्नवत है–

डीपीआर	–	(0.5 %)	– 1,90,81,080
ईपीए	–	(2 %)	– 7,63,24,320
संस्थागत एवं क्षमता निर्माण	–	(0.5%)	– 1,90,81,080
प्रशासनिक व्यय	–	(0.5 %)	– 1,90,81,080
			₹ ***13,35,67560 करोड़***

उक्त 64 परियोजनाओं के डीपीआर तैयार किये जाने हेतु एसएलएनए एवं WAPCOS तथा RSAC, UP के मध्य दिनांक 24.06.2013 को तीन MOU निष्पादित किये जा चुके हैं। ***निष्पादित तीनों MOUs का कार्योत्तर अनुमोदन एजेण्डा बिन्दु संख्या क्रमशः 16,17 एवं 18 पर प्रस्तुत है ।***

(iv) प्रश्नगत बिंदु के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2013 को निम्ननुसार आदेशित किया गया, ***" Take new Proposal to SLNA."*** इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.06.2013 को आईडब्ल्यूएमपी प्रशिक्षण पत्रावली पर निम्नानुसार आदेशित किया गया, '' ***प्रशिक्षण के लिये अन्य संस्थाओं को भी यदि पैनल में लेना है तो इसकी भी प्रक्रिया एसएलएनए से निर्धारित करा ली जाये। '' इस आदेश के अनुपालन में एजेण्डा बिंदु सं0–33 पर एसएलएनए से प्रक्रिया निर्धारित कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।***

(v) ***SCIENCE & TECHNOLOGY ENTEREPRENEURS PARK, HARCOURT BUTLER TECHNOLOGICAL INSTITUTE, KANPUR*** का प्रशिक्षण पैनल में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त ***शासनादेश संख्या 55/54–1–13 /1(01)/2010 दिनांक 29, जनवरी 2013*** द्वारा कतिपय विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया परन्तु क्षेत्रीय अधिकारियो द्वारा शासन को यह सूचित करने पर कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेत प्रस्तावित दरें अत्यधिक है, ***कार्यालय ज्ञाप संख्या 828/54–1–12/01(01)/2010 दिनांक 17.11.2012*** तथा ***शासनादेश संख्या 55/ 54–1–13/1 (01)/2010 दिनांक 29, जनवरी 2013*** का कार्यान्वयन ***शासनादेश संख्या*** **108/54–1–13/1(01)/2010 दिनांक 25, फरवरी** द्वारा स्थगित किया जा चुका है।

(vi) आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में स्वीकृत 185 वाटरशेड परियोजनाओं के डीपीआर तैयार किये जाने हेतु परियोजनाओं के ***थीमैटिक मैप्स*** एवं ***डीपीआर*** तैयार किये जाने हेतु एसएलएनए एवं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार के उपक्रम WAPCOS के मध्य दिनांक 24.06.2013 को तीन MOUs निष्पादित किये गये हैं। ***उक्त तीनों MOUs की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रस्ताव पृथक से एजेण्डा बिन्दु सं0 क्रमशः 16,17 एवं 18 पर प्रस्तुत है।***

(vii) ***वित्तीय वर्ष 2011–12*** में बुन्देलखण्ड पैकेज में स्वीकृत एवं कृषि विभाग को हस्तान्तरित 53 परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार स्तर पर गठित ***स्टेयरिंग कमेटी की 30वीं बैठक दिनांक 30.01.2013*** को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त भूमि संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ***भारत सरकार के पत्र संख्या जेड–11011/23/2009–पीपीसी दिनांक 11 फरवरी 2013*** के द्वारा प्राप्त हुआ। कार्यवृत्त में वर्ष 2011–12 हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु स्वीकृत 53 परियोजनाओं के सापेक्ष सर्वे करने के पश्चात ***संशोधित 37 परियोजनाओं*** जिनका क्षेत्रफल ***1,72,785.65 हेक्टेयर*** है के कार्यान्वयन हेतु सहमति प्रदान की गयी। भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन हेतु कृषि निदेशक उ0प्र0 लखनऊ से इस पर अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु ***शासन के पत्र संख्या 116/54–1–13/8(22)/2011 दिनांक 28 फरवरी 2013*** द्वारा अनुरोध किया जा चुका है।

(viii) **(क)** भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 के–11012/23/2009/आईडब्ल्यूएमपी(आईएस) दिनांक 16., मई 2013 द्वारा संस्थागत मद में ₹ 643.28 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष एसएलडीसी के 17 कार्मिकों को माह नवम्बर 2012 से मई 2013 तक के लम्बित मानदेय का ₹ 24,23,148.00 लाख का भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जा चुका है। एसएलडीसी के कार्मिकों को, एसएलएनए में उपलब्ध संस्थागत मद के अन्तर्गत ***अर्जित ब्याज*** की धनराशि से निम्न माहों का भुगतान किया गया था:–

1. मार्च,2012	89064.00
2. जुलाई,2012	319677.00
3. अगस्त एवं सितम्बर,2012	718327.00
4. अक्टूबर,2012	339515.00
5. नवम्बर,2012 (20 दिन)	263248.00
योग	**₹ 17,19,831.00**

ब्याज से भुगतानित मानदेय की उपरोक्त धनराशि ₹ 17,19,831.00 का समायोजन संस्थागत मद में प्राप्त धनराशि से कर लिया गया है।

(ख) डब्लूसीडीसी में कार्यरत टेक्नीकल एक्सपर्ट्स एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स, जिनका भुगतान बजट के अभाव में लम्बे समय से नही हो पा रहा था, उनमें से 53 जनपदों से उपस्थिति तथा सेवा प्रदाता से बिल प्राप्त कर वहां कार्यरत कार्मिकों के लम्बित मानदेय ₹ 1,57,80,332.00 का भुगतान सेवा प्रदाता को, संस्थागत मद में प्राप्त धनराशि से, एस0एल0एन0ए0 स्तर से किया जा चुका है।

(ix) समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ***शासनादेश संख्या–13/ 54–1–13 /8 (11)/2011 दिनांक 10 जनवरी 2013*** निर्गत किया जा चुका है।

(x) आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादित कार्यो का सोशल आडिट मनरेगा योजना के लिए लागू सोशल आडिट के भांति कराये जाने हेतु ***शासन के पत्र संख्या 89/54–1–2013/8(40)/12 दिनांक 15 फरवरी, 2013*** द्वारा निदेशक सोशल आडिट (मनरेगा) ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ से निदेशालय का सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। निदेशक सोशल आडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने ***पत्रांक 124/सो.आ.नि.–112/2013 दिनांक 20, मार्च 2012 द्वारा*** यह अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश (मनरेगा) सोशल आडिट संगठन की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 12.03.2013 में प्रस्ताव पर विचार किया गया। कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि, ***" महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यो के अतिरिक्त अन्य स्कीमों के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का सोशल आडिट कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना तथी उपयुक्त होगा, जबकि सोशल आडिट निदेशालय के कार्य–कलापों में वांछित गतिशीलता एवं स्थिरता आ जाए। अतः महात्मा गांधी नरेगा से भिन्न स्कीमों का सोशल आडिट कराए जाने का प्रकरण अभी लम्बित रखा जाए। "***

(xi) आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत मजदूरों को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुपालन में ***शासनादेश संख्या 31/54–1–2013/1(5)/2010 दिनांक 18 जनवरी, 2013*** द्वारा सभी जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डबलयूसीडीसी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

(xii) वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित लक्ष्य 3.13 लाख हे0 के सापेक्ष पीपीआर तैयार करने हेतु उच्चस्तरीय निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा अतिदोहित विकासखण्डों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं का निष्पादन विभागीय भूमि संरक्षण ईकाईओं के माध्यम से कराया जायेगा। तद्नुसार वर्ष 13–14 के निर्धारित लक्ष्य 3.13 लाख हे0 के सापेक्ष 17 जनपदों के विभिन्न अतिदोहित (Over Exploited) विकास खण्डों के कुल 1,94,240 हे0 क्षेत्रफल को चयनित कर 39 पीपीआर तैयार किया गया तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6 जनपदों में 93,995 हे0 क्षेत्रफल का चयन कर 20 पीपीआर तैयार किये गये।

(xiii) दिनांक 07.06.2013 को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में आहूत त्रैमासिक समीक्षा बैठक में प्रदेश की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यों में मशीनों के प्रयोग न करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी स्थिति पर सचिव, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि, आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने के लिए मशीन का प्रयोग वर्जित नहीं है। उपरोक्त बैठक के ***कार्यवृत्त सं0 के–11014/01/2013–आईडब्ल्यूएमपी दिनांक 17.06.2013*** के

उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित समीक्षा बिंदु (iii) में निम्नानुसार टिप्पणी की गयी है, ***" Principal seceratary U.P. said that the use of machines under IWMP is not permitted, the construction activities are taking a longer time. It was Clarified that the common Guidelines for Watershed Development Projects, 2008 (Revised edition-2011) do not restrict the use of machines. However, the state should prepare norms/ guideline for works to be taken of by machines and adopt them suitably under IWMP as is being done in other state."*** इसी परिपेक्ष्य में मशीनों से कार्य कराये जाने हेतु भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 (समादेश बन्धु) उत्तर प्रदेश ***शासनादेश संख्या 284/54–1–13/8 (29)/2013 दिनांक 11 जून, 2013*** द्वारा शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। ***एजेण्डा बिंदु सं0–19 पर शासनादेश के एसएलएनए से कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत है।***

(xiv) वित्तीय वर्ष 2013–14 में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं हेतु 17 जनपदों के विभिन्न अतिदोहित (Over Exploited) विकास खण्डों के कुल 1,94,240 हे0 क्षेत्रफल को चयनित किया गया है, जिनमें कुल 39 पीपीआर बनायी गयी है।

(xv) आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण (Monitoring) एवं समवर्ती मूल्यांकन (Concurrent Evaluation) डाक्यूमेंटेशन सहित, सक्षम एवं स्वतंत्र कन्सलटेंट/एजेन्सी का चयन QCBS प्रक्रिया द्वारा किये जाने हेतु RFP एवं TOR का प्रकाशन कराया गया, जिसके सापेक्ष 20 कन्सल्टेंट/एजेंसीज के प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिसमें नाबार्ड (NABARD) कन्सल्टेंसी सर्विसेज, मुम्बई द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ***उक्त चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिसके कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव एजेंडा बिन्दु संख्या 22 पर प्रस्तुत है।***

(xvi) पीपीपी मॉडल का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक आईडब्ल्यूएमपी की 471 परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 23,22,276 हे0 तथा प्रस्तावित लागत ₹ 2,786.73 करोड़ है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्य सरकार का मैचिंग शेयर सम्मिलित करते हुये इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु माह जून, 2013 तक ₹ 497.44 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 305.15 करोड़ व्यय करके 1,71,359 हे0 आच्छादित किया गया। वर्तमान में ₹ 192.29 करोड़ अवशेष है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक बैचवार, मदवार उपलब्ध धनराशि तथा उसके सापेक्ष सभी स्तरों पर किये गये व्यय को सम्मिलित करते हुये वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि का शीघ्र सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर दी गयी है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु केन्द्रांश प्राप्त करने का प्रस्ताव 15.07.2013 तक भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित केन्द्रांश प्राप्त करने एवं समय से सदुपयोग कराने का आश्वासन अध्यक्ष महोदय को दिया गया।

4. वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 183 परियोजनाओं में से 29 परियोजनाओं का मूल्यांकन पूर्व में ही कराया जा चुका है। अवशेष 154 परियोजनाओं के Preparatory Phase के मूल्यांकन हेतु शासकीय कृषि वि0वि0 एवं अन्य शासकीय संस्थाओं (Institutions) के मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल का गठन ***शासनादेश संख्या–726/54–1–12/8(11)/2011 दिनांक 3 अक्टूबर, 2012*** द्वारा निम्नवत् किया गया हैः–

(i) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
(ii) नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
(iii) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
(iv) वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
(v) नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनीवर्सिटी) नैनी, इलाहाबाद।
(vi) उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
(vii) राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौरा बाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
(viii) नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड, झाँसी।

उक्त इम्पैनल्ड संस्थाओं द्वारा 154 परियोजनाओं में से 138 परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा मूल्यांकन रिपोर्ट एसएलडीसी को उपलब्ध करायी जा चुकी है। शेष 16 परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष परियोजनाओं का भी मूल्यांकन शीघ्र पूर्ण कराकर इनको भी वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाले वित्तीय प्रस्ताव में सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया जाये।
उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि उपरोक्त इम्पैनल्ड संस्थाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दिनांक 27.08.2012 को आयोजित एसएलएनए की 13वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत परियोजनाओं की Preparatory Phase के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त संस्थाओं के इम्पैनलमेंट का अनुमोदन प्राप्त किया गया था तथा इसकी सूचना शासन के ***पत्र सं0 1740/54–1–12/8(11)/2011 दिनांक 21.12.2012*** द्वारा, निदेशक, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि इम्पैनल्ड संस्थाओं का अनुमोदन नोडल विभाग DOLR भारत सरकार से अब तक न कराया गया हो तो इसे तत्काल करा लिया जाये।

5. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिये 3.13 लाख हे0 क्षेत्रफल का पीपीआर तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 29 जनपदों की 67 परियोजनाओं के 3,27,788 लाख हे0 की जनपदवार, परियोजनावार पीपीआर का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसका एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, के स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 30.01.2013 को आयोजित 30वीं बैठक में आई0डब्ल्यू0एम0पी के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 53 परियोजनाओं के क्षेत्र में संशोधन के उपरान्त 37 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित बैठक का कार्यवृत्त ***भारत सरकार के पत्र संख्या Z-11011/23/2009-PPC दिनांक 11 फरवरी 2013*** प्राप्त हुआ है। कार्यवृत्त के ***बिन्दु सं–8*** के अनुसार 53 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत क्षेत्रफल 2,69,843 हेक्टेयर में संशोधनोपरान्त 37 परियोजनाओं का क्षेत्रफल 1,72,785.65 हेक्टेयर जिसकी लागत ₹ 32,381.16 लाख है के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार पूर्व में स्वीकृति 53 परियोजनाओं में

97,057.35 हेक्टेयर की कमी आयी है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11 फरवरी, 2013 में उल्लिखित कार्यवृत्त में आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 (समादेशबन्धु) उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 116 / 54–1–13/8(22)/2011 दिनांक 28 फरवरी, 2013 द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से ***पीआईए नामित करने, संशोधित परियोजनाओं के डीपीआर एसएलडीसी में प्रस्तुत करने, फोरक्लोज की गयी परियोजनाओं में अवमुक्त धनराशि के अन्तरण करने एवं क्लब (CLUB) की गयी परियोजनाओं के नामकरण के प्रस्ताव*** प्रेषित करने का अनुरोध किया गया। कृषि विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त में से 27 डीपीआर तैयार कर एसएलडीसी को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एसएलएनए द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 13.39 करोड़ की धनराशि में से 10.08 करोड़ की धनराशि का व्यय की जा चुकी है। उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि 16 फोर क्लोज्ड परियोजनाओं के प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु DOLR भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित किये जायें। अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि विभाग को उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अवशेष धनराशि के भी शीघ्र व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त फोर क्लोज्ड परियोजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. राज्य स्तरीय आकड़ा प्रकोष्ठ (एसएलडीसी) के स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना हेतु लगभग ***4000 वर्गफीट कारपेट एरिया के भवन को, प्रशासनिक मद की धनराशि, जो कि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत है, से लिये जाने पर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 04.04.2013 का कार्योत्तर अनुमोदन के प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*** निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ***एल्डिको कारपोरेट टॉवर, प्लाट नं0 टीसी–13/वी–16, पावर हाउस क्रासिंग (पूर्वी हिस्सा) विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ*** (सुपर एरिया 4677 वर्गफीट/बिल्टअप एरिया 3641 वर्गफीट) को एसएलएनए/एसएलडीसी के कार्यालय भवन हेतु ***प्रतिमाह किराया ₹ 1,95,516.00 + अन्य व्यय ₹ 65,478.00 = ₹ 2,59,994.00*** पर लिये जाने एवं **इंटीरियर फर्निशिंग** के सम्बन्ध में ***उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक (कन्सलटेंसी) विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ,*** से प्रारम्भिक आगणन प्राप्त किये जाने पर ***कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 03.06.2013 पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।***

प्रशासनिक मद की धनराशि में से ***9.75 प्रतिशत*** पीआईए एवं डब्ल्यूसी को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तथा ***0.25 प्रतिशत*** की धनराशि एसएलएनए स्तर पर रोके जाने के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि ***एजेण्डा बिंदु सं0 28*** पर भारत सरकार द्वारा आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं में ***प्रशासनिक मद*** में प्राप्त धनराशि में से ***01 प्रतिशत*** की धनराशि एसएलएनए स्तर पर रोके जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ***तद्नुसार प्रशासनिक मद में प्राप्त 01 प्रतिशत की धनराशि एसएलएनए स्तर पर रोके जाने एवं इसी धनराशि से कार्यालय भवन, किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

8. एसएलएनए/एसएलडीसी के कार्यालय भवन हेतु चयनित ***एल्डिको कार्पोरेट टावर प्लाट नं0 टीसी–13/वी–16 पावर हाउस क्रासिंग (पूर्वी हिस्सा) विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ*** की ***इन्टीरियर फर्निशिंग*** हेतु ***महाप्रबन्धक (कन्सलटेंसी) ने अपने पत्र सं0–823/ कैम्प–म0प्र0 (कन्सलटेंसी)/ रानिनि/हा.को.इ–1/2013, दिनांक 10, जून 2013*** द्वारा ***₹ 90.22 लाख*** के प्रारम्भिक आगणन पर प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2013 को वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। ***एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से इस पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

9. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के विभिन्न भागीदारों ***(Stake Holders)*** हेतु विभिन्न सेवायें (Services) यथा उत्तर प्रदेश में टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराने, भारत के अन्य राज्यों में टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराने, हवाई यात्रा हेतु टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने, रेल यात्रा हेतु टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में बस से यात्रा करने हेतु टिकटों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में चार्टेड बस से यात्रा करने हेतु टिकटों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में होटल की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, ***कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 18.04.2013 के क्रम में एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 एवं मैनेजर अपट्रूअर्स, यू0पी0 एस0टी0डी0सी0 लिमिटेड के मध्य दिनांक 25.04.2013 को निष्पादित एमओयू पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

10. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में कौशल अभिवृद्धि के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) नई दिल्ली द्वारा वाटरशेड विकास कार्यक्रम में एक वर्षीय पत्राचार डिप्लोमा कोर्स अलीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से कराये जाने हेतु द्वितीय बैच में शारदा सहायक समादेश क्षेंत्र तथा रामगंगा समादेश क्षेत्र के 100 फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों (20 भूमि संरक्षण अधिकारी, 40 अवर अभिंयता एवं 40 सहायक भूमि संरक्षक निरीक्षक) के चयन किये जाने के प्रस्ताव पर ***एसएसएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से, अनुमोदन प्रदान किया गया।***

11. मुख्य सचिव महोदय के कम्पयूटर सूची के लम्बित संदर्भ सं0– 1/363 के अनुपालन में गुजरात में वाटरशेड मैनजमेन्ट के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो का स्थल पर अध्ययन का उत्तर प्रदेश राज्य के लिये उसकी उपयोगिता का आंकलन एवं उत्तर प्रदेश मे प्रजेन्टेशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, संयुक्त सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग एवं संयुक्त निदेशक, (समादेश बन्धु) भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की गठित टीम को गुजरात भ्रमण पर भेजे जाने के ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

12. आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत योजनाधीन समस्त जनपदो में स्थापित डब्ल्यूसीडीसी के परियोजना प्रबन्धक, लेखाकार/सहायक लेखाकार, टेक्निकल एक्सपर्ट एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 20.05.2013 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया गया, जिस पर ***₹ 4.31 लाख*** का व्यय प्रशिक्षण मद से किये जाने के ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

13. आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत एसएलएनए/ एसएलडीसी/ डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए/ डब्ल्यूसी/ सेल्फ हेल्फ ग्रुप एवं यूजर्स ग्रुप के अधिकारियों/ कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय भ्रमण ***बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (BIRD)*** से कराने के ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

14. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत कौशाम्बी जिले में आईडब्ल्यूएमपी योजना के अंतर्गत समस्त स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी कौशाम्बी के पत्र दिनांक 11.12.2012 के क्रम में जनपद कौशाम्बी में स्थापित ***भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि विज्ञान केन्द्र, मलाक मोइनुद्दीनपुर महगॉव, कौशाम्बी*** को प्रशिक्षण के पैनल में शामिल किये जाने पर कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश शासन से दिनांक 08.02.2013 को प्राप्त अनुमोदन एवं तत्क्रम् में निर्गत ***कार्यालय ज्ञाप सं0–107/54–1–13/01(01)/2010 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2013 के प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

15. उत्तर प्रदेश में संचालित आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं से सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स को प्रतिष्ठित/अनुभवी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिलाये जाने के दृष्टिगत ***वाटरशेड आग्रेनाइजेशन ट्रस्ट (WOTR)*** से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में ***डरेवाडी लर्निंग सेंटर (डीएलसी) तालुका संगमनेर, जिला–अहमदनगर, महाराष्ट्र*** से पीआईए/डब्ल्यूडीटी सहित डब्ल्यूसी के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश शासन से दिनांक 12.06.2013 को प्राप्त अनुमोदन एवं तत्क्रम् में निर्गत ***कार्यालय ज्ञाप सं0–287/54–1–12/01(01)/2010 दिनांक 13 जून, 2013 पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

16. आंध्र प्रदेश के मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में ***वर्ष 2011–12*** में स्वीकृत ***158 - 37 = 121*** वाटरशेड परियोजनाओं तथा ***वर्ष 2012–13*** में स्वीकृत ***64 वाटरशेड परियोजनाओं*** के डीपीआर में प्रयोग होने वाले परियोजनाओं के **THEMATIC MAPS** तैयार किये जाने हेतु, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, के आदेश ***दिनांक 18.04.2013*** के अनुपालन में, MOU के ड्राफ्ट का न्याय विभाग से विधीक्षण तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त्, ***दिनांक 24 जून 2013 को प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं श्री पी.एन. शाह, निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ के मध्य निष्पादित MOU पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

17. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, के आदेश दिनांक 18.04.2013 के अनुपालन में, MOU के ड्राफ्ट का न्याय विभाग से विधीक्षण तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त्, उत्तर प्रदेश में ***वर्ष 2011–12*** की स्वीकृत ***31*** वाटरशेड परियोजनाओं तथा ***वर्ष 2012–13*** की स्वीकृत ***04*** वाटरशेड परियोजनाओं (अर्थात् कुल 35 परियोजनाओं) के DPR तैयार किये जाने हेतु, ***दिनांक 24.06.2013 को प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं श्री पी.एन. शाह, निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ*** के मध्य निष्पादित ***MOU पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

18. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, के आदेश दिनांक 18.04.2013 के अनुपालन में, MOU के ड्राफ्ट का न्याय विभाग से विधीक्षण तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, उत्तर प्रदेश में ***वर्ष 2011–12*** की स्वीकृत ***90*** वाटरशेड परियोजनाओं तथा ***वर्ष 2012–13*** की स्वीकृत ***60*** वाटरशेड परियोजनाओं (अर्थात् कुल 150 परियोजनाओं) के DPR तैयार किये जाने हेतु, ***दिनांक 24.06.2013 को प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं डा0 जे0के0 राय, मुख्य (भूजल), Wapcos Limited (A Govnment of India under taking ministry of water resources New Delhi) के मध्य निष्पादित MOU पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

19. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत मशीनों से कार्य कराये जाने हेतु भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 (समादेश बन्धु) उत्तर प्रदेश ***शासनादेश संख्या 284/54–1–13/8 (29)/2013 दिनांक 11 जून, 2013*** द्वारा निर्गत ***शासनादेश पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

20. उत्तर प्रदेश में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ***प्रतिष्ठित एनजीओ/एजेन्सीज को पीआईए के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु*** प्रकाशित **EOI/TOR** के सापेक्ष नियत अन्तिम तिथि 10.06.2013 तक प्राप्त कुल ***219*** प्रस्तावों पर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ***उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि एनजीओ/एजेंसीज को पीआईए के रूप में चयनित किये जाने के समय अत्यधिक सर्तकता बरती जाये।***

प्रतिष्ठित एनजीओ/एजेन्सीज को पीआईए के पैनल में सम्मिलित किये जाने के ***EOI/TOR प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

21. आईडब्ल्यूएमपी योजना के ***लावलीहुड, प्रोडक्शन सिस्टम*** सहित उक्त घटकों के सफल क्रियान्वयन हेतु ***संसाधन संर्वधन संगठन (RSO)*** के रूप में ***स्वयंसेवी संगठनों (V.O.)*** की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रकाशित EOI/TOR के सापेक्ष नियत अन्तिम तिथि 20.06.2013 तक प्राप्त ***कुल 224*** प्रस्तावों पर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि ***NRLM*** की प्रक्रिया भी देख ली जाये।

प्रतिष्ठित एनजीओ/एजेन्सीज को संसाधन संर्वधन संगठन (RSO) की भागीदारी हेतु पैनल में सम्मिलित किये जाने के EOI/TOR प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

22. आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर ***निगरानी (Monitoring) एवं समवर्ती मूल्यांकन (Concurrent Evaluation) डाक्यूमेन्टेशन सहित,*** कन्सल्टेन्ट/एजेन्सी के चयन के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 20.03.2013, के क्रम में प्रकाशित विज्ञापन RFP के सापेक्ष प्राप्त 20 प्रस्तावों पर शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा ***QCBS प्रक्रिया*** के अन्तर्गत ***तकनीकी मूल्यांकन*** के पश्चात् तकनीकी दृष्टि से ***अर्ह (Qualified) 05 कन्सल्टेन्ट/एजेंसीज*** के ***तकनीकी (Technical)*** एवं ***वित्तीय प्रस्तावों (Financial Quote)*** के

मूल्यांकन के पश्चात् अधिकतम ***Score Technical+ Score Financial (ST+ SF) PROACT Lucknow, Uttar Pradesh*** का ***97.6*** रहा, जिनके द्वारा ***प्रोजेक्ट कास्ट*** के ***0.32 प्रतिशत*** की दर से निगरानी एवं समवर्ती मूल्यांकन करने की दर दी गयी। यह ***Letter of award (LOA)*** की तिथि के निर्गमन के उपरान्त् की वित्तीय प्रगति पर आंकलित किया जायेगा तथा यह प्रोजेक्ट के अन्तर्गत होने वाले ***वास्तविक व्यय*** पर आधारित होगा। इस पर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 27.06.2013 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ***कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के उपरोक्त अनुमोदन क्रमशः दिनांक 20.03.2013 एवं 27.06.2013 पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

23. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों में, ***सहजन (Drumstick Tree),*** जिसका कि वानस्पतिक नाम ***Moringa Oleifera*** है, की बहु आयामी उपयोगिता के दृष्टिगत, इस वर्षा ऋतु में, आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत ***10 लाख*** सहजन के रोपण के विशेष कार्यक्रम हेतु वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना के अनुसार वन विभाग को पौध तैयार किये जाने हेतु ***₹ 35 लाख*** की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। विभागीय अधिकारी वन विभाग से पौध प्राप्त कर परियोजना क्षेत्र के चयनित स्थलों पर पौध–रोपण करायेंगे। इस सम्बन्ध में निर्गत ***शासनादेश सं0*** **556/54–1–13/8–10/2013 दिनांक** 16.05.2013 एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 12.06.2013 के क्रम में निर्गत ***शासनादेश सं0*** **324/54–1–13/8(10)/2013 दिनांक 28.06.2013** पर एसएलएनए द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन पर चर्चा के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित सम्पूर्ण सदन द्वारा इस ***वृहद् वृक्षारोपण*** कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा ***विस्तारित (Extended) बुन्देलखण्ड पैकेज*** में इस योजना को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये। ***एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी सुझाव दिया गया कि*** आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत डीपीआर तैयार करने तथा विभिन्न मदों के लाभार्थियों का चयन वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा किया जाता है। इस प्रकार योजना के सृजन एवं क्रियान्वयन में **BOTTOMS UP** की ***Approch*** है। अतः **Entry Point Activities (EPA)/*Watershed development works(WDW)/Livilihood activities एवं Production system & Micro interprises के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो,*** इस कार्यक्रम को लिये जाने पर वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा नियमानुसार विचार कर अनुमोदन दिया जाना चाहिये। आवश्यकतानुसार PIAs इन्हें DPR में समाहित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

24. शासन द्वारा, **पायलेट प्रोजेक्ट** के रूप में, **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी 07 जनपदों सहित इलाहाबाद, कौशाम्बी, मीरजापुर, सोनभद्र तथा कन्नौज** जनपद के आईडब्ल्यूएमपी परियोजना क्षेत्र के, ***600 हैक्टेअर क्षेत्रफल*** में, ***खेती उत्पादन प्रणाली*** के अन्तर्गत, **ग्वार (Symopsis Tetragonoloba)** की खेती कराने के प्रस्ताव से एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया। चर्चा के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित सम्पूर्ण सदन द्वारा इस कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी। श्री रविन्द्र सिंह सैनी, कन्सलटेंट एग्रीकल्चर, एनआरएए, योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा यह सुझाव दिया गया कि ग्वार की खेती हेतु ***बीज–वितरण*** के लिये ***05 एकड़*** की ***अधिकतम सीमा (Upper limit)*** का निर्धारण भी किया जाना उचित होगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा ***विस्तारित (Extended) बुन्देलखण्ड पैकेज*** में इस योजना को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये। ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन***

प्रदान किया गया तथा यह भी सुझाव दिया गया कि आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत डीपीआर तैयार करने तथा विभिन्न मदों के लाभार्थियों का चयन वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा किया जाता है। इस प्रकार योजना के सृजन एवं क्रियान्वयन में ***BOTTOMS UP*** की ***Approch*** है। अतः **Entry Point Activities *(EPA)/Watershed development works(WDW)/Livilihood activities एवं Production system & Micro interprises के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो,*** इस कार्यक्रम को लिये जाने पर वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा नियमानुसार विचार कर अनुमोदन दिया जाना चाहिये। आवश्यकतानुसार PIAs इन्हें DPR में समाहित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

25. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से BAIF DEVELOPMENT RESEARCH FOUNDATION के उपस्थित प्रतिनिधि श्री रमेश रावल द्वारा तीन परियोजनाओं क्रमशः ***Enhancing Income of landless, small and marginal farmers through Goat Development Programme, Comprehensive Sustainable Cattle Development Programme and To Establish Integrated Milk Production and Marketing through farmers organization in Jalaun District of Bundelkhand Region*** के Concept notes पर प्रस्तुतीकरण किया गया। ***उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों को आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत लिये जाने के प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत डीपीआर तैयार करने तथा विभिन्न मदों के लाभार्थियों का चयन वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा किया जाता है। इस प्रकार योजना के सृजन एवं क्रियान्वयन में ***BOTTOMS UP*** की ***Approch*** है। अतः **Entry Point Activities *(EPA)/Watershed development works(WDW)/Livilihood activities एवं Production system & Micro interprises के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो,*** इन कार्यक्रमों को लिये जाने पर वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा नियमानुसार विचार कर अनुमोदन दिया जाना चाहिये। आवश्यकतानुसार PIAs इन्हें DPR में समाहित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

26. आईडब्ल्यूएमपी योजना से सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स यथा यूजर्स ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाटरशेड कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यगण एवं पीआईए तथा डब्ल्यूसीडीसी कार्मिकों के क्षमता निर्माण/ज्ञानार्जन हेतु प्रदेश में स्थापित ऐसे समस्त ***कृषि विज्ञान केन्द्रों, जिनके कार्मिकों का वेतन ICAR द्वारा वहन किया जाता है, को क्षमता निर्माण हेतु पैनल में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

27. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में परियोजना स्तर पर, प्रारम्भिक चरण में, क्षमता निर्माण हेतु, ***प्रत्येक माइक्रो वाटरशेड में, पीआईए द्वारा ₹ 35,000/– से मात्र एक अभिमुखीकरण (Orientation) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण मद से, कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

28. दिनांक 28.10.2010 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आईडब्ल्यूएमपी योजना के लिये संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी आयोजित वर्कशाप के एजेण्डा बिंदु–4 में प्रोजेक्ट फण्ड की धनराशि का विभिन्न स्तरों पर प्रमात्रीकरण (Quantification) से सम्बन्धी बिंदु पर चर्चा हुई तथा इसका वितरण सुनिश्चित कराने की व्यवस्था बनायी गयी, जिसमें एसएलएनए को यह स्वतंत्रता दी गयी कि, "Quantification for each level is indicative and SLNAs will decide the exact amount to be disbursed to each level based upon actual requirements."

इस प्रावधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एसएलएनए स्तर पर प्राशसनिक मद की धनराशि रोके जाने की व्यवस्था विद्यमान न होने के कारण एसएलएनए स्तर पर संस्थागत मद में प्राप्त धनराशि पर्याप्त नहीं होती है, जिसके कारण प्राशसनिक नियंत्रण बनाये रखने में असुविधा हो रही है। ***वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13*** में स्वीकृत कुल 471 परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 2,786.73 करोड़ है। इसमें प्रशासनिक मद ***(10 प्रतिशत)*** की धनराशि ₹ 278.6 करोड़ होगी। प्रशासनिक मद की प्राविधानित धनराशि में से 01 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् लगभग ₹ 27.86 करोड़ (सम्पूर्ण परियोजना अवधि में) एसएलएनए स्तर पर रोके जाने तथा इस धनराशि का व्यय एसएलएनए स्तर पर किये जाने सम्बन्धी ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त, सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

29. एसएलएनए उ0प्र0 के पूर्व ***सेवा प्रदाता वाणी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ,*** जिसका कार्यकाल 30.06.2012 को समाप्त हो गया था, के द्वारा एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी/डब्ल्यूडीटी में नियोजित किये गये कार्मिकों यथा टेक्निकल एक्सपटर्स, डाटा एन्ट्री आपरेटर्स तथा डब्ल्यूडीटी के सदस्यों के ***माह अप्रैल, मई, जून 2012 तक के बकाया मानदेय रू0 36,71,929.00*** में से ***05 प्रतिशत सर्विस चार्ज*** की कटौती कर, परियोजना प्रबन्धकों से सम्बन्धित कार्मिकों की उपस्थिति का सत्यापन प्राप्त कर, मानदेय का भुगतान सम्बन्धित कार्मिकों के खातों में एसएलएनए के माध्यम से भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ***एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त, सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्मिकों को देय–मानदेय का भुगतान किया जाये तथा इस प्रक्रिया के अनुकरण से कालान्तर में कोई विधिक कठिनाई न आये, इसका ध्यान रखा जाये।***

30. एसएलएनए उ0प्र0 के ***वर्तमान सेवा प्रदाता मेसर्स विबग्योर इन्फो प्रा0लि0, लखनऊ*** का दिनांक 30.06.2013 को एक वर्ष का अनुबन्ध समाप्त हो जाने के फलस्वरूप नई व्यवस्था होने तक माह जुलाई 2013 से एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी/डब्ल्यूडीटी में मेसर्स विबग्योर इन्फो प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा नियोजित कार्मिकों को यथावत् रखने तथा सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धकों से सम्बन्धित कार्मिकों की उपस्थिति सत्यापित कराकर, उन्हें देय मानदेय में से ***0.4 प्रतिशत*** सर्विस चार्ज की कटौती कर, शेष मानदेय को एसएलएनए के माध्यम से सीधे कार्मिकों को भुगतान किये जाने के सम्बन्धी ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त, सर्व सम्मति से,*** यह निर्णय लिया गया कि, ***" मै0 विबग्योर सेवा प्रदाता का कार्यकाल दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक, पूर्व निर्धारित शर्तों एवं सर्विस चार्ज पर, विस्तारित कर दिया जाये। पूर्व में नियोजित कार्मिकों की सेवाओं की निरन्तरता बनायी रखी जाये, क्योंकि इनके प्रशिक्षण पर संस्था ने धन एवं समय व्यय किया है। एसएलएनए द्वारा नये सर्विस प्रदाता के चयन हेतु नियमानुसार निविदा प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जाये।"***

31. वर्तमान ***सेवा प्रदाता मेसर्स विबग्योर इन्फो प्रा0लि0, लखनऊ*** का कार्यकाल दिनांक 30.6.2013 को समाप्त होने के दृष्टिगत, भारत सरकार से प्राप्त संस्थागत मद की धनराशि को शीघ्र व्यय करने तथा डब्लूसीडीसी में कार्यरत कार्मिकों के लम्बे समय से लम्बित मानदेय का भुगतान करने के लिए, जनपदों से प्राप्त सेवा सत्यापन तथा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये

गये बिलों के आधार पर, ***एसएलएनए स्तर से 53 जनपदों में कार्यरत कार्मिकों का मानदेय ₹ 1,57,80,332.00 का भुगतान सीधे सेवा प्रदाता द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

32. मनरेगा योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की ***दर ₹ 142/– प्रतिदिन*** निर्धारित है, जबकि विभाग द्वारा ***₹ 120/– प्रतिदिन*** की दर निर्धारित है। इस विसंगति को दूर करने के लिये यह निर्णय लिया गया कि मनरेगा की स्वीकृत ***मजदूरी दर*** एवं ***वर्क आउटपुट*** को विभागीय कार्यों के लिये स्वीकृत किया जाये। तद्विषयक ***शासनादेश सं0 293/54–1–09–2(1)/05 टीसी दिनांक 12.06.2013*** निर्गत किया गया। ***शासनादेश पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

33. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में क्षमता निर्माण के निमित्त प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण पैनल में सम्मिलित करने हेतु ***एसएलएनए से इसकी प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त् विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि इस सम्बन्ध में युक्तिसंगत प्रस्ताव तैयार कर एसएलएनए की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।***

34. सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कागज एवं मुद्रण की अनुमोदित दरों पर ***श्रीमंत गसपेल प्रेस, निराला नगर, लखनऊ*** की सहमति के संदर्भ में इस फर्म को मुद्रण हेतु ***शासनादेश सं0–697/54–1–20013 /8(30) 2013 दिनांक 14 जून, 2013*** द्वारा आदेशित किये जाने सम्बन्धी ***प्रस्ताव पर एसएलएनए द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त्, सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।***

35. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय के अनुमति से :–

(i) ***संयुक्त निदेशक, शारदा सहायक समादेश, लखनऊ*** के ***पत्रांक 1266/ तीन–भू0ज0प्र0–आईडब्ल्यूएमपी–अति0प्र0/2013–14 दिनांक 30.06.2013*** द्वारा ***वित्तीय वर्ष 2009–10*** एवं ***वर्ष 2010–11*** में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के ***डीपीआर के एक्शन प्लान*** में संशोधन कर ***अतिरिक्त रूप से तालाबों*** एवं ***चेक डैम्स*** को ***निर्मित*** किये जाने के सम्बन्ध में एसएलएनए में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। एसएलएनए द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त् यह निर्णय लिया गया कि आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत डीपीआर तैयार करने तथा विभिन्न मदों के लाभार्थियों का चयन वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा किया जाता है। इस प्रकार योजना के सृजन एवं क्रियान्वयन में **BOTTOMS UP** की ***Approch*** है। अतः **Entry Point Activities *(EPA)/Watershed development works(WDW)/Livilihood activities एवं Production system & Micro interprises के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो,*** इस कार्यक्रम को लिये जाने पर वाटरशेड कमेटी (WC) द्वारा नियमानुसार विचार कर अनुमोदन दिया जाना चाहिये। आवश्यकतानुसार PIAs इन्हें DPR में समाहित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी को धन्यवाद् ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन किया गया।

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त

दिनांक 01.07.2013(सोमवार) को स्टेट लेवल नोडल एजेंसी के अध्यक्ष/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 15वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

क्रम सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम एवं विभाग
1	श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
2	श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3	डा.आर.एस.सैनी, कन्सलटेंट, एनआरएए, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4	श्री मुथुकुमारस्वामी बी0, अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड, लखनऊ।
5	श्री वेद प्रकाश, प्रशासक, रामगंगा कामाण्ड परियोजना, कानपुर।
6	श्री आनन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव/सीईओ एसएलएनए, उत्तर प्रदेश शासन।
7	श्री वी.के. चौधरी, परियोजना निदेशक ल0सि0, उत्तर प्रदेश शासन।
8	श्री पी.आर. चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, ल0सि0, उत्तर प्रदेश शासन।
9	डा0 वरदानी, संयुक्त निदेशक, एसआईआरडी, बी.के.टी., लखनऊ।
10	श्री बी.एल.राय, विशेष सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
11	श्री आर.पी. सिंह, अनुसचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
12	डा.ए.एल. तुलधर, आरएसएसी, उत्तर प्रदेश शासन।
13	श्री प्रेम नारायण, विशेष सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
14	श्री अरविन्द ढाका, स0नि0 नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15	श्री रमेश रावल, बीएआईएफ, न्यू दिल्ली।
16	श्री जी.ए. पाटिल, बीएआईएफ, इलाहाबाद।
17	श्री आर.एम. सिंह, बीएआईएफ, न्यू दिल्ली।
18	श्री रवि कान्त सिंह, हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
19	श्री एम.पी. सिंह, अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
20	डा.एस.बी.शर्मा, उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
21	श्री अमिताभ मोहन, एजीएम, नाबार्ड, लखनऊ।
22	श्री जवाहर लाल, उप सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
23	श्री सुदर्शन यादव, संयुक्त निदेशक शारदा सहायक कमाण्ड, लखनऊ।
24	श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक समादेश बन्धु।
25	श्री केशवराम वर्मा, प्रा0सहा0 पशुपालन।

उत्तर प्रदेश शासन
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

संख्या 358 /54–1–13/1(समादेश)/09टीसी
लखनऊ : दिनांक– 10 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव नियोजन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग ,उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, ,उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, ,उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ,उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. डा0 आर.एस. सैनी, कन्सलटेंट, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एनएएससी काम्प्लेक्स, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली।
14. श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक, वन (डब्ल्यू.एम.) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ब्लाक नं0–11 छठवॉ तल, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
15. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सी–11, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
16. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
17. डा0 वरदानी, संयुक्त निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
18. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, सेक्टर–जी, जानकीपुरम्, कुर्सी रोड, लखनऊ।
19. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
20. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबनधन परियोजना, 23– सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
21. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, पाण्डु नगर कानपुर।
22. प्रशासनिक अधिकारी, एस.एल.डी.सी. (आईडब्ल्यूएमपी), 23–सी गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को विभागीय वेव साइट पर अपलोड करें।

10.7.13

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन

Letter-02